रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 48] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 30, 1985/माघ 10, 1906
No. 48] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 30, 1985/MAGHA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 1985

अधिसूचना

का. आ. 64(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

वर्ष 1977 मे बिहार राज्य विधान सभा के लिए हुए साधारण निर्वाचन मे उस राज्य के 5-सिकता सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित अभ्यर्थी श्री फजुल आजम (जिन्हे इसमे इसके आगे "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) के निर्वाचन को, एक पराजित अभ्यर्थी द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके आगे 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 123(2), (3), (5) और (7) के अधीन अभिकथित विभिन्न भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया था,

और पटना उच्च न्यायालय ने तारीख 7-9-1979 के अपने निर्णय द्वारा पराजित अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी थी और पराजित अभ्यर्थी ने उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की थी;

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 17-7-1984 के अपने निर्णय द्वारा निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को इस आधार पर अपास्त कर दिया कि उसने उक्त अधिनियम की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है ;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण मे इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या निर्वाचित अभ्यर्थी को उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए, और यदि हा, तो कितनी कालावधि के लिए;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपावंध देखिए) दी है कि निर्वाचित अभ्यर्थी को तारीख 17-7-1984 से, अर्थात् ,उसका निर्वाचन अपास्त करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय की तारीख से, 4 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए,

अतः, अब, मैं ज़ैल सिंह, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) द्वारा, मुझको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि निर्वाचित अभ्यर्थी को 18 जुलाई, 1984 से 4 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

ज़ैल सिंह,
भारत का राष्ट्रपति

28 जनवरी, 1985।

उपाबंध

(मुद्रा)

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

1984 का निर्देश मामला सं. 3 (आर पी ए)

(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश)

बिहार विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री फैजुल आज़म की निरर्हता के विषय में।

राय

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किया गया एक निर्देश है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या बिहार विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री फैजुल आज़म को उक्त अधिनियम की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा और यदि हां तो, कितनी कालावधि के लिए।

2. मामले के सुसंगत तथ्यों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है :—

(i) वर्ष 1977 में हुए साधारण निर्वाचन में 5-सिकता सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिए श्री फैजुल आज़म निर्वाचित हुए थे।

(ii) एक पराजित अभ्यर्थी, श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने श्री आज़म के निर्वाचन को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(2), (3), (5) और (7) के अधीन अभिकथित विभिन्न भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर पटना उच्च न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका सं. 1977 का 4 में प्रश्नगत किया।

(iii) उच्च न्यायालय ने, तारीख 7-9-79 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा, यह अभिनिर्धारित करते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि भ्रष्ट आचरणों का कोई भी अभिकथन श्री आज़म के विरुद्ध साबित नहीं हुआ है।

(iv) श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष सिविल अपील सं. 1979 का 3011 फाइल की। उस समय तक जब अपील जुलाई, 1984 में उच्चतम न्यायालय के समक्ष नियमित सुनवाई के लिए पेश की गई, बिहार विधान सभा का सदन, जिसके श्री आज़म एक सदस्य थे, पहले ही 1980 में विघटित हो गया था और 1980 में हुए साधारण निर्वाचन के आधार पर नया सदन गठित हो गया। श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा द्वारा पराजित किए जाने के परिणामस्वरूप श्री आज़म उस साधारण निर्वाचन में हार गए।

(v) किन्तु, श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा ने अपनी अपील को तत्परतापूर्वक प्रस्तुत किया। पूर्वोक्त अपील में उच्चतम न्यायालय के समक्ष बहस के समय अपीलार्थी की ओर से विद्वान काउन्सेल ने अपनी बहस को केवल एक आरोप तक, जो श्री आज़म की सहमति से मतदाताओं के निःशुल्क प्रवहण के लिए कबीर अहमद के जीप सं. यू०एस०जे० 5226 का उपयोग करने से संबंधित था, सीमित रखा। उपर्युक्त आरोप के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के नए सिरे से आंकने पर, उच्चतम न्यायालय ने, तारीख 17-7-84 के अपने निर्णय और आदेश द्वारा, उपर्युक्त आरोप के बारे में यह अभिनिर्धारित किया कि वह श्री आज़म के विरुद्ध साबित हो गया है और तद्नुसार, श्री आज़म को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया गया है।

3. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, यह प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(1) के अनुसार बिहार विधान सभा के सचिव द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष उठाया गया है कि क्या श्री फैजुल आज़म को निरर्हित किया जा सकेगा, और यदि हां तो, कितनी कालावधि के लिए। राष्ट्रपति ने उपर्युक्त प्रश्न को उक्त अधिनियम की धारा 8क(3) के अधीन निर्वाचन आयोग को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट किया है।

4. अपनी राय निश्चित करने से पूर्व आयोग ने श्री फैजुल आज़म को मामले में सुनवाई का अवसर दिया। तदनुसार, श्री आज़म आयोग के समक्ष 1-12-1984 को उपस्थित हुए। उनका प्रतिनिधित्व श्री डी. पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता, ने भी किया। उन्होंने पहले लिखित कथन और अनुपूरक लिखित कथन भी फाइल किया।

5. पूर्वोक्त दोनों लिखित कथनों और 1-12-84 को सुनवाई के समय भी, श्री आज़म और उनके काउन्सेल द्वारा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(5) के अधीन श्री आज़म को भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने

का अभिनिर्धारण करने वाले उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों पर आक्षेप करने का प्रयास किया गया था। श्री आज़म के विद्वान काउन्सेल को यह बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता को आयोग के समक्ष वर्तमान कार्यवाहियों में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता क्योंकि आयोग उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों के संबंध में निर्णय नहीं दे सकता और यह कि आयोग इन निष्कर्षों द्वारा आबद्ध है। काउन्सेल की न्याय दृष्टि को सराहना करते हुए यह उल्लेखनीय है कि उसने भी उपर्युक्त विधिक स्थिति को स्वीकार किया। तथापि, उसने उच्चतम न्यायालय के तारीख 17-7-84 के निर्णय में कुछ ऐसे मतों की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया जो विद्वान काउन्सेल के अनुसार, सही तथ्यवरक स्थिति प्रतिबिम्बित नहीं करते। उदाहरणार्थ, उसने निर्णय के आरंभिक पैरा को निर्दिष्ट किया जिसमें यह कथित है कि "प्रत्यर्थी" (अर्थात् श्री फैजुल आज़म) 1980 के साधारण निर्वाचन में बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे जबकि वस्तुतः वे उस निर्वाचन में पराजित हो गए थे। (इस विसंगति को आयोग द्वारा भी पहले ही नोट कर लिया गया था)। इसके अतिरिक्त, उसने निर्णय के पृष्ठ 25-26 की ओर ध्यान आकर्षित किया जहां उन्हें (श्री आज़म को) गलत तौर पर वकील के रूप वर्णन किया गया है (यद्यपि वे वकील नहीं है बल्कि वनस्पति विज्ञान में पी. एच. डी. हैं) और जहां उनके साक्ष्य का मूल्यांकन उस गलत धारणा के आधार पर किया गया है।

6. जो कुछ भी हो, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के ऊपर निर्दिष्ट छोटी-छोटी तथ्यपरक गलतियों से श्री फैजुल आज़म के विरुद्ध न्यायालय के दोष विषयक निष्कर्ष समाप्त नहीं हो जाते। श्री आज़म के बिहार विधान सभा का सदस्य नहीं रह जाने के बाद भी, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त अपील की पैरवी करने में अपीलार्थी का एकमात्र प्रयोजन यह सुनिश्चित करना था कि श्री आज़म भ्रष्ट आचरण करने के दांडिक परिणामों से बच न जाएं। अतः तर्कसंगत रूप से उसका यह अर्थ निकलता है कि श्री आज़म को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 (5) के अधीन भ्रष्ट आचरण करने के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

7. अब, यह विनिश्चय हो जाने पर कि श्री आज़म को निरर्हित किया जाना चाहिए, जो प्रश्न विचार किए जाने के लिए बच जाता है वह यह है कि उन्हें कितनी कालावधि के लिए इस प्रकार निरर्हित किया जाना चाहिए। श्री डी. पी. सिंह और श्री फैजुल आज़म दोनों ने आयोग से इस विषय में उदार दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उपर्युक्त प्रार्थना के समर्थन में, श्री डी. पी. सिंह ने कहा कि श्री आज़म प्रतिभाशाली युवा पुरुष हैं जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में पी. एच. डी. किया है और उन पर दीर्घ कालावधि के लिए अधिरोपित किसी निरर्हता से उनका राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाएगा। यह भी कहा गया कि श्री आज़म उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय के प्रति, जिसके कारण वे कठिनाई में पड़ गए हैं, सम्मान के कारण लोक सभा की वर्तमान साधारण निर्वाचन नहीं लड़ रहे हैं, यद्यपि तकनीकी दृष्टि से वे अभी तक निरर्हित नहीं हुए हैं और वे उस समय तक निर्वाचन लड़ सकते हैं जब तक कि राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की राय के आधार पर, उन्हें निरर्हित न घोषित कर दें। यह भी कहा गया कि श्री आज़म उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी अपील संबंधी मामले के अपने ही कुप्रबंध का शिकार हुए हैं क्योंकि उन्हें समय से सूचना नहीं मिली जिससे कि वे अपने काउन्सेल को समुचित रूप से अपना पक्षकार बता सकते जिसके कारण उनके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय ने अपना यह अभिमत दिया।

8. मैंने उपर्युक्त दलीलों पर विचार किया है कि जिन्हें इस रूप में प्रस्तुत किया गया है कि वे मामले की गम्भीरता को कम करती हैं। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि श्री आज़म 1977 में भारी बहुमत से निर्वाचन जीते थे। उनके विरुद्ध साबित किया गया भ्रष्ट आचरण, एक मतदान केन्द्र पर 5 महिलाओं को ले जाने के लिए जीप का उपयोग करने से संबंधित है। निस्संदेह, भ्रष्ट आचरण एक खेदजनक कार्य है क्योंकि इससे निर्वाचन प्रक्रिया की शुद्धता नष्ट होती है। किन्तु, किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति और वह सीमा जिस तक वह किया गया है, वह कालावधि अवधारित करने के लिए, जिसके लिए किसी व्यक्ति को उक्त भ्रष्ट आचरण करने के कारण भविष्य में निर्वाचन लड़ने से विवर्जित किया जाना चाहिए, नितान्त सुसंगत हैं। इन सभी सुसंगत बातों और प्रस्तुत मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह राय है कि न्याय का उद्देश्य इस बात से पूरा हो जाएगा।

यदि श्री आज़म को उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात् 17-7-84 से 4 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित कर दिया जाता है।

9. तदनुसार, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अनुसार राष्ट्रपति को अपनी यह राय देता हूं कि श्री फैजुल आज़म को, उक्त अधिनियम की धारा 8क (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय के आदेश की तारीख, अर्थात् 17-7-84 से उक्त अधिनियम की धारा 123 (5) के अधीन ऊपर निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण करने के लिए 4 वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए।

(आर. के. त्रिवेदी)
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 8 दिसम्बर, 1984

[फा. सं. 7(24)/84—विधायी, II]
क. सुब्रमणियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 1985

S.O. 64(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas the election of Shri Faiyazul Azam (hereinafter referred to as the "returned candidate"), a returned candidate from 5—Sikta assembly constituency in the State of Bihar Legislative Assembly held in 1977, was called in question before the Patna High Court by a defeated candidate;

And whereas the Patna High Court by its judgement dated 7-9-1979 had dismissed the petition of the defeated candidate and the defeated candidate had filed an appeal before the Supreme Court, against the judgement of the High Court;

And whereas the Supreme Court by its judgement dated 17-7-1984 set aside the election of the returned candidate on the ground of his having committed corrupt practices under section 123(5) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "said Act").

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of Subsection (3) of section 8A of the said Act on the question whether the returned candidate should be disqualified under section 8A (1) of the said Act, and if so, for what period;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the returned candidate should be disqualified for a period of 4 years from 17-7-1984 i.e. the date of the Supreme Court judgement setting aside his election;

Now, therefore, I, Zail Singh, President of India, in exercise of the powers conferred on me by subsection (3) of section 8A of the said Act do hereby decide that the returned candiate should be disqualified for a period of 4 years from 17th July, 1984.

ZAIL SINGH

PRESIDENT OF INDIA

28 January, 1985.

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 3 (RPA) of 1984.

[Reference from the President under section 8A (3) of the Representation of the people Act, 1951]

In re : Disqualification of Shri Faiyazul Azam, former member of Bihar Legislative Assembly.

OPINION

This is a reference from the President under section 8A(3) read with section 8A(1) of the Representation of the People Act, 1951, seeking opinion of the Election Commission on the question whether Shri Faiyazul Azam, former member of Bihar Legislative Assembly, may be disqualified and, if so, for what period for committing a corrupt practice under section 123(5) of the said Act.

2. The relevant facts of the case may be briefly stated as under :—

(i) Shri Faiyazul Azam was elected to Bihar Legislative Assembly from 5-Sikta assembly constituency at the general election held in 1977.

(ii) Shri Dharmesh Prasad Verma, a defeated candidate, called in question the election of Shri Azam in Election Petition No. 4 of 1977 before the Patna High Court on the ground of alleged commission of various corrupt practices under sections 123 (2), (3), (5) and (7) of the Representation of the People Act, 1951.

(iii) The High Court by its judgment and order dated 7-9-79 dismissed the petition holding that none of the allegations of corrupt practices had been proved against Shri Azam.

(iv) Shri Dharmesh Prasad Verma filed Civil Appeal No. 3011 of 1979 before the Supreme Court against the afore-said judgment of Patna High Court. By the time the appeal came up for regular hearing before the Supreme Court in July, 1984, that House of the Bihar Legislative Assembly of which Shri Azam was a member had already been dissolved in 1980 and a new House constituted on the basis of a general election held in 1980. Shri Azam lost in that general election being defeated by Shri Dharmesh Prasad Verma.

(v) Shri Dharmesh Prasad Verma however presented his appeal diligently. At the time of the arguments before the Supreme Court in the aforesaid Appeal, the learned Counsel for the appellant restricted his arguments only to one charge relating to the use of Jeep No. USJ 5226 belonging to one Shri Kabir Ahmed for free conveyance of voters with the consent of Shri Azam. On fresh appraisal of evidence before the High Court with regard to the above charge, the Supreme Court, by its judgment and order dated 17-7-84, held the above charge to have been proved against Shri Azam and has accordingly found Shri Azam guilty of commission of corrupt practice under section 123 (5) of the Representation of the People Act, 1951.

3. As a result of the above finding of the Supreme Court, a question has been raised before the President by the Secretary to the Bihar Legislative Assembly in terms of section 8A (1) of the Representation of People Act, 1951 as to whether Shri Faiyazul

Azam may be disqualified and, if so, for what period? The President has referred the above question to the Election Commission for its opinion under section 8A (3) of the said Act.

4. Before formulating its opinion the Commission afforded an opportunity to Shri Faiyazul Azam of being heard in the matter. Accordingly, Shri Azam appeared before the Commission on 1-12-1984. He was also represented by Shri D. P. Singh, Senior Advocate. He had also earlier filed a written statement and a supplementary written statement.

5. Both in the aforesaid written statements and also at the time of the hearing on 1-12-84, an attempt was made by Shri Azam and his Counsel to assail the findings of the Supreme Court holding Shri Azam guilty of the corrupt practice under section 123(5) of the Representation of the People Act, 1951. The learned Counsel for Shri Azam was told that the correctness of the findings of the Supreme Court could not be called in question before the Commission in the present proceedings as the Commission could not sit in judgment over the findings of the Supreme Court and that the Commission was bound by those findings. In fairness to the counsel it may be stated that he also accepted the above legal position. Nevertheless, he drew attention of the Commission to certain observations of the Supreme Court in its judgement dated 17-7-84 which, according to learned Counsel, did not reflect the correct factual position. For instance, he referred to the opening paragraph of the judgment wherein it is stated that the "respondent" (i.e. Shri Faiyazul Azam) had been elected to the Bihar Legislative Assembly at the general election in 1980, whereas in fact he was defeated in that election. (This discrepancy had already been noted by the Commission also). Again, he drew attention to pages 25-26 of the judgement where he (Shri Azam) has been wrongly described as a lawyer (though he is not and is an Ph. D. in Botany) and where the appraisal of his evidence has proceeded on that wrong assumption.

6. Be that as it may, the above referred minor factual inaccuracies in the Supreme Court's judgement do not obliterate the Court's findings of guilt against Shri Faiyazul Azam. The sole purpose of the appellant before the Supreme Court in pursuing the above appeal, even after Shri Azam had ceased to be a member of the Bihar Legislative Assembly, was to see that Shri Azam shold not escape the penal consequences of committing a corrupt practice. Therefore, it logically follows that Shri Azam should be disqualified for committing the corrupt practice under section 123(5) of the Representation of the People Act, 1951.

7. Now having decided that Shri Azam should be disqualified, the question that remains to be considered is for what period he should be so disqualified. Both Shri D. P. Singh and Shri Faiyazul Azam urged the Commission to take a lenient view in the matter. In support of the above prayer, Shri D. P. Singh stated that Shri Azam was a brilliant young man having done his Ph. D. in Botany and any disqualification imposed on him for a long period would ruin his political career. It was also stated that Shri Azam was not contesting the present general election to the Lok Sabha out of his deference for the Supreme Court's judgement placing him under a cloud, though technically speaking he had not so far become disqualified and could contest the election until the President, on the opinion of the Election Commission, declared him disqualified. It was also stated that Shri Azam was the victim of his own mismanagement of his appeal case before the Supreme Court as he did not get timely notice for properly briefing his counsel which contributed to the present verdict of the Supreme Court against him.

8. I have considered the above submissions which are sought to be shown as the mitigating circumstances in the present case. It is observed from the records that Shri Azam won the election in 1977 with a big margin. The corrupt practice proved against him relates to the use of a jeep for carrying 5 ladies to a polling station. No doubt, corrupt practice is a deplorable act as it sullies the purity of election process. However, the nature of the corrupt practice committed and the extent to which it is indulged in are quite germane for determining the period for which a person should be debarred from contesting future elections for committing the said corrupt practice. Having due regard to all these relevant considerations and the facts and circumstances of the present case, I am of the opinion that it would meet the ends of justice if Shri Azam is disqualified for a period of 4 years from the date of the Supreme Court's Order i.e. 17-7-84.

9. I, accordingly, hold and tender my opinion to the President in terms of section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951 that Shri Faiyazul Azam should be disqualified under section 8A (1) of the said Act for a period of 4 years from the date of the Supreme Court's Order i.e. 17-7-84, for committing the above referred corrupt practice under section 123(5) of the said Act.

(R. K. TRIVEDI)

CHIEF ELECTION COMMISSIONER OF INDIA

Place : New Delhi.

Dated 8th December, 1984

[F. No. 7(24)|84-Leg. II]

K. SUBRAMANIAN, Jt. Secy.

I480 G1/84- 2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985